



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230586
CG-DL-E-21102021-230586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4016]
No. 4016]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4366 (अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1397 (अ) तारीख 25.03.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 27.03.2021 में प्रकाशित के गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा झारखण्ड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी दी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर-हल्दिया एण्ड बोकारो-धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट
अनुसूची
बोकारो अंगुल पाइपलाइन

राज्य-झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	आर-वर्ग	मीटर
बोकारो	चास	मानगो	1	1413	00	00	53
बोकारो	जरीडीह	तांतरी	6	16	00	01	44
				17	00	01	35
				162	00	07	79
				167	00	12	29
				158	00	00	61
				1197	00	00	36
				1289	00	06	49
बोकारो	जरीडीह	खुतरी	8	635	00	18	79
बोकारो	कसमार	औरमो	117	1065	00	01	17
रामगढ़	गोला	कुम्हारदगा	51	607	00	10	25
				829	00	12	13
रामगढ़	गोला	रायपुरा	30	175	00	00	49
				88	00	03	91
रांची	अनगडा	गेतलसुद	9	2309	00	01	61
रांची	अनगडा	चतरा	31	1448	00	00	09
				2097	00	01	09
				2143	00	01	21
रांची	नामकुम	अरमा	333	01	00	01	58
रांची	नामकुम	तेतरी	325	769	00	04	18
रांची	नामकुम	लालखंटगा	305	714	00	16	40
				731	00	24	01
रांची	नामकुम	सहेदा	280	649	00	03	50
रांची	नामकुम	बुमरु	279	283	00	01	95
				350	00	05	34

[फा. सं. एल-14014/18/2021-जीपी-II (ई-39697)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2021

S.O. 4366(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 1397 (E) dated 25.03.2021 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 27.03.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Jharkhand by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline Project
SCHEDULE
Bokaro Angul Pipeline

State - Jharkhand

District	Block	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hectare-Are-Sq-mtr		
Bokaro	Chas	Mango	1	1413	00	00	53
Bokaro	Jaridih	Tantri	6	16	00	01	44
				17	00	01	35
				162	00	07	79
				167	00	12	29
				158	00	00	61
				1197	00	00	36
				1289	00	06	49
Bokaro	Jaridih	Khutri	8	635	00	18	79
Bokaro	Kasmar	Ormo	117	1065	00	01	17
Ramgarh	Gola	Kumhardaga	51	607	00	10	25
				829	00	12	13
Ramgarh	Gola	Raipura	30	175	00	00	49
				88	00	03	91
Ranchi	Angara	Getalsud	9	2309	00	01	61
Ranchi	Angara	Chatra	31	1448	00	00	09
				2097	00	01	09
				2143	00	01	21
Ranchi	Namkum	Arma	333	01	00	01	58
Ranchi	Namkum	Tetri	325	769	00	04	18
Ranchi	Namkum	Lalkhatanga	305	714	00	16	40
				731	00	24	01
Ranchi	Namkum	Saheda	280	649	00	03	50
Ranchi	Namkum	Bumru	279	283	00	01	95
				350	00	05	34

[F. No. L-14014/18/2021-GP-II (E-39697)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.